न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 932/2024

अनवान : –

1– रामकुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवसी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– सतवीर सिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर ।

3– सुभाष चन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

—— **वादीगण**

बनाम

1– सुखदेव पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– तुलछाराम उर्फ तुलछा पुत्र रूड़राम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

3– जयवीर सिंह पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– भरतसिंह पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– सन्तोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 30/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि व खाता संख्या 352/279 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/99 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि एवं खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:29:27 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि वादीगण ... कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ... हिन्दु खानदान होने ... कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अकेलो के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गई उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ वादीगण संख्या 2 ता 3 व प्रतिवादी 5 का ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 2 ता 3 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं लाखासर के खाता संख्या 352/279 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/99 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा लाखासर के खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 ता 2 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335, खाता संख्या 352/279, जमाबंदी भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 ता 38 बहक रोही मौजा ला[illegible]क रूडाराम पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:29:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के अकेलो के नाम दर्ज हो गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ वादीगण संख्या 2 ता 3 व प्रतिवादी 5 का ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 2 ता 3 की बहिने है व प्रतिवादी संख्या 2 की पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है एवं लाखासर के खाता संख्या 352/279 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि पर प्रतिंवादी संख्या 1 यथावत काबिज है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/99 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में वादीगण संख्या 2 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है तथा लाखासर के खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 यथावत काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि व खाता संख्या 352/279 के [illegible] 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज [illegible] मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/[illegible]9 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:29:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 352/279 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/99 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन करवाकर किया जाकर वादीगण संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा लाखासर के खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:29:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 932/2024

अनवान : –

1– रामकुमार पुत्र सुखदेव जाति जाट निवसी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– सतवीर सिंह पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर ।

3– सुभाष चन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–– वादीगण

बनाम

1– सुखदेव पुत्र रूड़ाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

2– तुलछाराम उर्फ तुलछा पुत्र रूड़राम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

3– जयवीर सिंह पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4– भरतसिंह पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

5– सन्तोष पुत्री तुलछाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 932 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 353/335 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 7.0310 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 352/279 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0986 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 103/99 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.5410 है0 भूमि व खाता संख्या 104/100 के खसरा नं. 150/2 की कुल 3.4900 है0 भूमि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन करवाकर किया जाकर वादीगण संख्या 2 ता 3 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा लाखासर के खाता संख्या 105/287 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 4.0591 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अपने नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:29:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर